



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26112020-223345
CG-DL-E-26112020-223345

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 606]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 26, 2020/आग्रहायण 5, 1942

No. 606]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 26, 2020/AGRAHAYANA 5, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2020

सा.का.नि. 737(अ).—केन्द्र सरकार, विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी गतिविधियां निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) के खंड 8 की धारा (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा नजरबंदी आदेशों अर्थात् (i) पीडी-12001/01/2020-कोफेपोसा; (ii) पीडी-12001/02/2020-कोफेपोसा और (iii) पीडी-12001/03/2020-कोफेपोसा प्रत्येक तारीख 21.01.2020 के मामले में, ऐसे आंशिक संशोधन से पूर्व किए गए या लोप किए जाने वाले कार्यों के अलावा, खंड 8 (उपर्युक्त) के तहत केवल सलाहकार बोर्ड की कार्यवाही के प्रयोजन हेतु, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), भारत सरकार की अधिसूचना सा.का.नि. सं. 183 (अ) तारीख 17 मार्च, 2020 में आंशिक संशोधन करते हुए, एक सलाहकार बोर्ड का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

- (i) माननीय श्री न्यायमूर्ति डी.एन. पटेल, मुख्य न्यायाधीश, अध्यक्ष
- (ii) माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रतीक जालान, सदस्य
- (iii) माननीय श्री न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर, सदस्य

2. इस उद्देश्य से यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी और उक्त सलाहकार बोर्ड, जिसका गठन वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), भारत सरकार की अधिसूचना सा.का.नि. सं. 183 (अ) दिनांक 17 मार्च, 2020 द्वारा पहले किया जा चुका है, दिनांक 23 मार्च, 2020 से अन्य मामलों के लिए समान रहेगा।

[सं. पीडी-13004/01/2019-कोफेपोसा]

नरेश कुमार, उप सचिव

- पाद टिप्पणी: (i) दिनांक 17 मार्च, 2020 की अधिसूचना सा.का.नि. सं. 183 (अ) को भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग-II, खंड 3, उप खंड (i) में 17 मार्च, 2020 को प्रकाशित किया गया था।
- (ii) दिनांक 9 अप्रैल, 2020 की अधिसूचना सा.का.नि. सं. 245 (अ) को भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग-II, खंड 3, उप खंड (i) में 9 अप्रैल, 2020 को प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL ECONOMIC INTELLIGENCE BUREAU)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2020

G.S.R. 737(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 8 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) and in partial modification of the Notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) G.S.R. No. 183 (E) dated 17th March, 2020, only for the purpose of the Advisory Board proceedings under Section 8 *ibid*, in the matter of Detention Orders *viz.* (i) No. PD-12001/01/2020-COFEPOSA; (ii) No. PD-12001/02/2020-COFEPOSA and (iii) No. PD-12001/03/2020-COFEPOSA each dated 21.01.2020, except as respects things done or omitted to be done before such partial modification, the Central Government hereby constitutes an Advisory Board consisting of :-

- (i) Hon'ble Mr. Justice D. N. Patel, Chief Justice, Chairperson
- (ii) Hon'ble Mr. Justice Prateek Jalan, Member
- (iii) Hon'ble Mr. Justice C.Hari Shankar, Member

2. This notification shall come into force with immediate effect for the purpose and the Advisory Board already constituted vide Notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) G.S.R. No. 183 (E) dated 17th March, 2020 shall continue to remain the same for the other matters with effect from 23rd March, 2020.

[No. PD-13004/01/2019-COFEPOSA]

NARESH KUMAR, Dy. Secy.

Footnote : (i) The Notification G.S.R. No. 183 (E) dated 17th March, 2020 was published in the Gazette of India (Extraordinary) Part II, Section 3, Sub Section (i) on the 17th March, 2020.

(ii) The Notification G.S.R. No. 245 (E) dated 9th April, 2020 was published in the Gazette of India (Extraordinary) Part II, Section 3, Sub Section (i) on the 9th April, 2020.